सेल में एच.आई.वी./एड्स नीति

कार्यस्थल में सामंजस्य बनाए रखने था मालिक व कर्मियों के बीच वर्तमान संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए एच.आई.वी./एड्स के संबंध में कम्पनी की नीति इस प्रकार होगी :

1. कम्पनी एच.आई.वी./एड्स के बारे में सरकार द्वार जारी निर्देशों व नीतियों को पूर्ण रूप से और जारी होने के साथ ही कार्यान्वित करेगी।

2. कम्पनी कर्मचारियों को सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य परिस्थितियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन.ए.सी.ओ.) के साथ सभी सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए समन्वय स्थापित करेगी।

3. कम्पनी तथा सरकार से सम्बद्ध मजदूर संघ रोजगार के दौरान भेद–भाव रहित नीति का अनुसरण करेंगे व कम्पनी में एच.आई.वी./एड्स कार्यक्रमों को लागू करेंगे।

4. एच.आई.वी./एड्स कार्यक्रम कम्पनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत जीवन में जोखिम कम करने की नवीनतम व पूर्ण जानकारी देंगे।

5. कम्पनी पोस्टरों, पर्चों, परामर्शदात्री सेवाओं से एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम, इलाज के बारे में कर्मचारियों को शिक्षित करेगी। कम्पनी की पत्रिकाओं में इस संबंध में लेखों का प्रकाशन तथा विचार–विमर्श सत्रों का आयोजन होगा। व्यर्थ धारणाओं को दूर करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा।

6. कम्पनी अपने कर्मचारियों को सुरक्षित रक्तदान व रक्त प्राप्ति के बारे में शिक्षित करेगी।

7. कर्मचारियों की चिकित्सा संबंधी सभी जानकारियां, विशेष रूप से एच.आई.वी./एड्स की परिस्थिति में, इलाज कर रहे डॉक्टरों व प्रबन्धन द्वारा गुप्त रखी जाएगी। एच.आई.वी./एड्स के संबंध में कर्मचारी की जांच रिपोर्ट को गुप्त रखने पर कड़ाई से अमल किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए अपनी जांच रिपोर्ट से प्रबन्धन को अवगत कराना अनिवार्य नहीं होगा। सम्बद्ध कर्मचारियों के इलाज और एच.आई.वी./एड्स के मामले में गोपनीयता बरती जाएगी।

8. जब तक कर्मचारी स्वैच्छिक परामर्श कार्यक्रम के जरिये यह मांग न करें, एच.आई. वी./एड्स परीक्षण वार्षिक स्वास्थ्य जांच के भाग नहीं होंगे।

9. कम्पनी एच.आई.वी./एड्स पीड़ित किसी भी कर्मचारी को साथ पदोन्नति, प्रशिक्षण तथा अन्य लाभ के मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। कोई भी कर्मचारी एच.आई.वी./एड्स पीड़ित होने के कारण कम्पनी से उस समय तक बर्खास्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपना कार्य करने में असमर्थ न हो या चिकित्सा अधिकारी उसे असमर्थ न घोषित कर दे।

10. एच.आई.वी. पीड़ित कर्मचारी तब तक अपना कार्य करता रहेगा/रहेगी जब तक उसकी बीमारी कार्य में व्यवधान नहीं डालती। ऐसी स्थिति में कर्मचारी की अन्य उपयुक्त पद पर बदली कर दी जाएगी।

11. एच.आई.वी. पीड़ित कर्मचारी के साथ कार्य न करने की प्रवृत्ति को रोका जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को समय–समय पर आयोजित चेतना कार्यक्रमों में यह बताया जाएगा कि एच.आई.वी./एड्स साथ काम करने एक–दूसरे को छूने से संक्रामित नहीं होता है। पीड़ित कर्मचारी को अपनत्व की भावना व सहज जीवन उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित किया जाएगा।

आशा है कि इस नीति पर अमल कर एच.आई.वी. के विस्तार पर नियंत्रण करने, पीड़ितों के प्रति सार्थक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने तथा कर्मचारियों में स्वास्थ्य तथा सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को उत्पादकता तथा कार्यकुशलता में वृद्धि लाने में सहायता मिलेगी।